

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 71/16/17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभावकारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गणेश कुमार दास वो अंचल निरीक्षक श्री गणेश कुमार दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पुडुआ थाना नं0 112 गैरमजरूआ खाता नं0 24/76 दाग नं0 22 रकवा 18-12-10 किस्म जली करी श्री गणेश कुमार दास पिता गणेश कुमार साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गणेश कुमार दास को दिनांक 25/5/16 समय 11:12 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

गणेश कुमार
25/5/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

30/7/16


अधिकारी उपस्थित। गणेश कुमार दास पिता गणेश कुमार साकिन। उन्होंने सचिव के रूप में दोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया। उन्होंने दस्तावेज समर्पित करने हेतु समय की सीमा बिना 05 अक्टूबर 2016 को रूकें।

गणेश कुमार
25/5/16


sancha

31/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।


अंशदात्री
महाशायी


अभिलेख उपस्थापित।
कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया
गया है। कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया
जाता है कि दिनांक 26.08.2020 को 11:00 बजे
पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में शूनि
से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने
द्वारा नोटिस निर्गत करें।


अंचल अधिकारी,
महाशायी।

28/8/20

अभिलेख उपस्थापित।

व्याजदाय हाजरी करी है एवं शूनि
से संबंधित कागजात भी व्याज शरी प्रस्तुत करी
करे है जिसे देखा। अभिलेख दिनांक 28/8/20
को रखें।


अंचल अधिकारी
महाशायी

28/8/2020

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिवेश -
सह-प्रभारी कानून निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित
किया गया है कि पश्चात शूनि मांजा -
बधुआ थाना नं- 692 के गैरमजरूमाला (कात)
नं- 24 के कानून दाज नं- 32 का अंश

रकत 0-12-0 एर किल परती कदीन मुमुंनम
 पदाधिकारी, गोडा के मुमुंनम डेश नं०-11/1971-72
 के द्वारा गंगाधर मा के प्राप्त है। अंमल
 अधिकारी, नटागागा के मुमुंनम डेश नं०-03/2004-
 05 के द्वारा गणेश पसाद मा पिता गंगाधर
 मा के प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रशासन
 अति पर गणेश मा का प्रथम है।

राजल उपनिरीक्षक - एए - प्रगती
 अंमल निरीक्षक द्वारा प्रशासन अति बंदी से
 सही मानते हुए कमिनेट की कार्रवाई बन्द
 करने की अनुशंसा की गई है।
 उक्त के आलोक में कमिनेट की
 कार्रवाई बन्द की जाती है।

ले हासिल

28/08/2021
 अंमल अधिकारी
 नटागागा

28/08/2021
 अंमल अधिकारी
 नटागागा

सेवा में,

श्रीगान् अंचल अधिकारी,
महागागा।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 71/2016-17 गणेश प्रसाद झा
पिता-गंगाधर झा का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या
71/2016-17 गणेश प्रसाद झा पिता-गंगाधर झा का जांच किया। जांचोपरांत पाया
कि प्रश्नगत भूमि गौजा-बसुआ, थाना नं0-692 के गैरमजरूआ खाता सं0-24 के
अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा 00-12-00 धूर किस्म-परती-कदीम अनुमंडल
पदाधिकारी, गोड्डा के म्युटेशन केश नं0-11/1991-92 के द्वारा गंगाधर झा को
प्राप्त है। अंचल अधिकारी, महागागा के म्युटेशन केश नं0-03/2004-05 के द्वारा
गणेश प्रसाद झा पिता-गंगाधर झा को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर गणेश झा का दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन


28/8/24